रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012024-251116 CG-DL-E-03012024-251116

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2024/पौष 12, 1945 No. 08] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2024/PAUSHA 12, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो (उपभोक्ता मामले विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2023

संदर्भ: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (762 B).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनूसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा	संशोधनों की संख्या	संशोधनों की	तिथि जब तक मानक
सं.	शीर्षक	एवं तिथि	प्रतिस्थापन तिथि	तीसरे स्तंभ में इंगित
				संशोधन के बिना भी
				लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 1293 : 2019	संशोधन संख्या 2	27 दिसम्बर 2023	26 सितम्बर 2024
	घरेलू और ऐसे ही सामान्य प्रयोजनों के लिए 250	दिसम्बर 2023		
	वोल्ट तक की रेटित वोल्टता वाले और 16 एम्पीयर			
	तक की रेटित करंट वाले प्लग और सॉकेट-निकास			
	— विशिष्टि			
	(चौथा पुनरीक्षण)			
2	आई एस/आई ई सी 60079-2 : 2014	संशोधन संख्या 1	27 दिसम्बर 2023	26 मार्च 2024
	विस्फोटी पर्यावरण	दिसम्बर 2023		

65 GI/2024 (1)

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	भाग 2 दाबित आवेष्टन "p" द्वारा उपकरण संरक्षण			
	(पहला पुनरीक्षण)			
3	आई एस/आई ई सी 60079-18 : 2014	संशोधन संख्या 1	27 दिसम्बर 2023	26 मार्च 2024
	विस्फोटी पर्यावरण	दिसम्बर 2023		
	भाग 18 प्राकरण "m" द्वारा उपकरण संरक्षण			
	(दूसरा पुनरीक्षण)`			

पी राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./662/2023-24]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2023

Ref: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (762 B).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

SCHEDULE

SI. No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 1293 : 2019	Amendment No. 2	27 December	26 September 2024
	Plugs and Sockets-Outlets for Household and	December 2023	2023	
	Similar Purposes of Rated Voltage up to and			
	Including 250 V and Rated Current up to and			
	Including 16 A — Specification			
	(Fourth Revision)			
2	IS/IEC 60079-2 : 2014	Amendment No. 1	27 December	26 March 2024
	Explosive Atmospheres	December 2023	2023	
	Part 2 Equipment Protection by Pressurized			
	Enclosure "p"			
	(First Revision)			
3	IS/IEC 60079-18 : 2014	Amendment No. 1	27 December	26 March 2024
	Explosive Atmospheres	December 2023	2023	
	Part 18 Equipment Protected by			
	Encapsulation "m"			
	(Second Revision)			

P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./662/2023-24]